न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–03, इलाहाबाद।
परिवाद सं0–2594/2013
अमित वर्मा बनाम रमेश भारतीया

<u>निस्तारण अंतर्गत धारा 256 द0प्र0सं0</u>

<u>दिनांक–16.10.2024</u>

पत्रावली आज पेश हुई। बार–बार पुकार करायी गयी। पुकार पर परिवादी अमित वर्मा व उनके विद्वान उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली धारा–138 एन0 आई0 एक्ट से सम्बन्धित है। परिवादी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। न्यायहित में परिवादी को अन्तिम अवसर भी प्रदान किया गया परन्तु उसके बाद भी वह न्यायालय मे उपस्थित नही है। पत्रावली अति प्राचीन हैं।

दं0प्र0सं0 की **धारा–256** में यह प्रावधान दिया गया है कि **"यदि परिवाद पर समन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त को हाजिरी के लिए नियत दिन, या उसके पश्चात्वर्ती किसी दिन, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है, परिवादी हाजिर नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा जब तक कि वह किन्हीं कारणें से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक न समझे :**

परन्तु जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहां मजिस्ट्रेट की यह राय है कि परिवादी की वैयक्तिक हाजिरी आवश्यक नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है और मामले में कार्यवाही कर सकता है।

पत्रावली में परिवादी विगत तिथियों से लगातार अनुपस्थित चल रहा है न तो वह स्वंय उपस्थित हो रहा है और न ही उसके विद्वान अधिवक्ता ही उपस्थित आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिवादी को प्रस्तुत परिवाद को आगे चलाने में अब कोई रूचि नहीं रह गयी है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत परिवाद को अब और आगे लम्बित रखना न्यायाचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः परिवाद समाप्त किये जाने योग्य हैं तथा अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

<u>आदेश</u>

परिवादी की अनुपस्थिति में अभियुक्त रमेश भारतीया को धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम थाना–कर्नलगंज, प्रयागराज के अपराध से दोष मुक्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–03, इलाहाबाद।